(5)

(7)

कार्यालयः मुख्य अभियनता (पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः प.10 / पीएण्डएम– ।। / वी.आर. / 2007 / 683 दिनांक : 5/3/08

माननीय सांसद,
लोक सभा क्षेत्र ....

माननीय विधायक,
विधान सभा क्षेत्र ....

जिला प्रमुख,
जिला परिषद ....

प्रधान,
पंचायत समिति ....

विषय :- सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों के रखरखाव बाबत्।

महोदय,

राजस्थान राज्य में योजनान्तर्गत विभाग द्वारा सड़को का निर्माण किया जा रहा है। अनुबन्ध के अनुसार इनके रख–रखाव की जिम्मेदारी सवेदक की है।

नई सड़क जो संवेदक द्वारा बनायी जा रही है, उस सड़क का रख–रखाव संवेदक द्वारा 5 वर्ष तक किया जावेगा। यदि पुरानी सड़क का सुदृढ़ीकरण / रिकारपेट किया जा रहा है, तो उस सड़क का रख–रखाव संवेदक द्वारा 3 वर्ष तक किया जायेगा।

रख–रखाव को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यकता महसूस की गई है कि योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों के बारे में माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला प्रमुख एवं प्रधान, पंचायत समितियों को भी अवगत किया जावे।

अतः आप अपने अधिनस्थ क्षेत्र में निर्मित सड़कों का रखरखाव संवेदक द्वारा सही प्रकार से किया जा रहा है, के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग को जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे तत्परता से विभाग समय पर उचित कार्यवाही कर सके।

इस संबंध में राज्य स्तर पर शासन सचिव, सा0नि0वि0 पत्रांक प. 10 / पीएण्डएम– ।। / वी.आर. / 2007 / डी –561 दिनांक 20.12.07 द्वारा भी आपको निवेदन किया जा चुका है।

भवदीय

मुख्य अभियन्ता (पथ– ।)
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राज0, जयपुर

EE II 5/3/08

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव / मुख्य अभियन्ता, पथ– ।। / एन.एच. / पीएमजीएसवाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, संभाग ....(समस्त) / अधीक्षण अभियन्ता वृत ....(समस्त) को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि पत्र की प्रति जिला प्रमुख एवं स्थानीय पंचायत समिति, प्रधान को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता (पथ– ।)

RRU 5839 5-3-08

(5)

(5)